

110

52

BEFORE THE HON'BLE M. P., STATE BOARD OF REVENUE AT

GWALIOR (M.P.)

Revision No. of 2014


R - 1923 - II / 14

Petitioner : Ramesh Chand Jain, aged about 70 Yrs.
S/o Late P. L. Jain
R/o 587, Nunhai, Sarafa, Jabalpur (M.P.)

V/s

Respondent : 1. State of M. P. Through Collector of
Stamps/District Registrar,
Marhatal Opp. Jayanti Talkies
Jabalpur (M.P.)
2. Smt. Rama Bai,
W/o Late Anandi Lal Dubey
R/o Maharajpur, Jabalpur (M.P.)
(Reported Expired) Through Attorney
Sheetal Patel (Reported Expired)
R/o Maharajpur, Jabalpur (M.P.)

दिनांक 9.6.14
अधीक्षक
सहायक
9/6/14



367

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

31

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R 1923-II/2014... जिला ज्वलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि-के-हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 20-1-15 | <p>आवेदक डा. वि. श्री संजय लुहावादे उपायित । ^{धारा-5 व} उन्हे ^{धारा-5 व} ग्राह्यता पट सुना ।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ^{धारा-5 व} ग्राह्यता पट प्रस्तुत तर्कों पट विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यता के लिए जांच किया गया, जिससे दुरिष्ठ होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>3- आवेदक द्वारा यह निगरानी 2½ वर्ष से भी अधिक के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । तथा विलम्ब का कारण संशोधन अधिनियम का ध्यान न होकर प्रकरण अपर आयुक्त न्या. में प्रस्तुत करना बताया है, समाधानकारक नहीं है । अतः यह निगरानी अवधि बाध्य होने से प्रथमदृष्टया इसी स्तर पर ग्राह्यता की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सहायक</p> | |